

बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, (संशोधन) 2024 के अंतर्गत श्रम अधीक्षक, मधेपुरा के ज्ञापांक (कॉलम 4 में वर्णित) 03 श्रमिकों के स्वाभाविक मृत्यु के उपरांत उनके आश्रितों को 50,000/- (पचास हजार रूपए) प्रति कामगार की दर से रू० 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार रूपए) अर्थात् कुल राशि रू० 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार रूपए मात्र) अनुदान की स्वीकृतोपरान्त राशि विमुक्ति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के आलोक में मृतक/दावेदार कामगारों के आश्रितों को स्वीकृत राशि की विमुक्ति का आदेश दिया जाता है। मृतक/दावेदार कामगारों/शिल्पकारों का नाम, उनके आश्रितों का नाम एवं पता तथा बैंक लेखा संख्या निम्नांकित है:-

क्र.सं.	मृतक/दावेदार का नाम, उम्र, पिता/पति का नाम, कोटि	आश्रित का नाम (संबंध)	श्रम अधीक्षक का पत्रांक/दिनांक	पता एवं मोबाईल नं०	आश्रित का बैंक खाता संख्या	बैंक एवं शाखा का नाम, आई.एफ. एस.सी	स्वीकृत अनुदान की राशि	मृत्यु/निःशक्तता का ब्यौरा, कार्य की प्रकृति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	स्व० अरविन्द कुमार, 30, विजय कुमार राम, अनुसूचित जाति	कंचन कुमारी (पत्नी)	287 02.04.2026	ग्राम-शेखपुरा वार्ड-08, पो-कठौतीया, थाना+प्र०-बिहारीगंज जिला-मधेपुरा 6203017804	350493 7325	CBI CBIN02 82451	रू० 50,000/- (पचास हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, राजमिस्त्री का हेल्पर
2	स्व० अनिल पासवान, 58, मदन पासवान, अनुसूचित जाति	हेमा देवी (पत्नी)	386 03.05.2026	ग्राम+पो-भागीपुर वार्ड-03, प्र०+थाना-आलमनगर, जिला-मधेपुरा 9102067050	321240 43403	SBI SBIN00 03571	रू० 50,000/- (पचास हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, सड़क निर्माण श्रमिक
3	स्व० पप्पु मल्लिक, 36, उपेन्द्र मल्लिक, अनुसूचित जाति	पिकी देवी (पत्नी)	409 08.05.2026	ग्राम+पो-चौराहा, वार्ड-08, थाना+प्र०-शंकरपुर, जिला-मधेपुरा 8405957751	008610 497815	IPPB IPOS00 00001	रू० 50,000/- (पचास हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, खेतिहर मजदूर

कुल :-1,50,000/-

(एक लाख पचास हजार रूपए मात्र)

2. उक्त राशि भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना में पोषित बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति के बचत खाता संख्या 37062727316 से "बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011के सहायक अनुदान इकाई से विकलनीय होगी।

3. उपरोक्त स्वीकृत राशि (कॉलम नं०-8) का भुगतान RTGSके माध्यम से सीधे कॉलम नं०-3 में अंकित आश्रित के बैंक खाते कॉलम 6 में किया जाएगा।

4. प्रस्ताव पर अपर मुख्य सचिव-सह-सभापति, कार्यकारिणी समिति, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(रोहित कुमार)

मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-

(राजेश भारती)

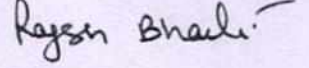
कार्यकारी निदेशक

ज्ञाप संख्या :-श्रम क०सं०-32/2026(अंश)-850 पटना, दिनांक :- ०७/०७/2026

प्रतिलिपि :- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना, उपरोक्त आदेश के कॉलम 3 में अंकित पुत्र/पुत्री को उनके नाम के सामने अंकित खाता संख्या में कॉलम नं० 09 में स्वीकृत राशि RTGS के माध्यम से अन्तरित करना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी कारण राशि का अंतरण नहीं हो पाता है तो इसकी सूचना अविलंब मुख्य वित्त पदाधिकारी, बिहार राज्य श्रम कल्याण

समिति, नियोजन भवन को देंगे/लेखा शाखा, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, बिहार, पटना, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित है कि उक्त कुल स्वीकृत राशि **रु० 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार रुपए मात्र)** बैंक से अंतरण के पश्चात् लेखा संधारण करना सुनिश्चित करेंगे। श्रम अधीक्षक, मधेपुरा/उप श्रमायुक्त, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/आईटी0 मैनेजर, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।


06/07/2024
(रोहित कुमार)
मुख्य वित्त पदाधिकारी


(राजेश भारती)
कार्यकारी निदेशक